न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 22/2016
पंजीयन दिनांक 15.01.2016

(1). माधु पिता चुना जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(2). भैरूलाल पिता शंकरलाल जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(3). गणेशलाल पिता शंकरलाल जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(4). बरजी बेवा शंकरलाल जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(5). नारायण पिता हजारी जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)। (मृतक)
(6). हंसराज उर्फ हंसा पिता सोलाल जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(7). गोपी बेवा शंकर जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।

-अपीलांटगण

बनाम

(1). कालू पिता चूना जाति जाट निवासी उचनार कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(2). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(3). शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक,शाखा कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(4). शाखा प्रबंधक स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।
(5). शाखा प्रबंधक ग्रामीण आंचलिक बैंक,शाखा हथियाना, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 118/2011 अंतिम निर्णय दिनांक 20.06.2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2014

उपस्थित वक्त बहस-(1).दिनेश दायमा-अधिवक्ता अपीलांट
(2).शिवनारायण जाट- अधिवक्ता रेस्पो0 1
(3).पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 18.07.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अपीलांट्गण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा उचनारकलां तहसील कपासन की आराजी संख्या 295 से 315, आराजी संख्या 318 से 322, आराजी संख्या 438 से 441, 443, आराजी संख्या 572 से 582, आराजी संख्या 586 से 590, आराजी संख्या 596 से 611, आराजी संख्या 1306/585, 1421/286, 1422/285 कुल किता 67 कुल रकबा 16.00 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 2/15, अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 का 1/15, हक हिस्सा निहित होकर तदनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे अनुसार वादी के हक हिस्से का बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे पृथक से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2012 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री व दिनांक 24.08.2012 को संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया। जिसकी पालना मे हल्का पटवारी द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर एवं सभी पक्षकारान को उक्त तैयारशुदा फर्द बंटवाड़े से सहमत होना बताया जाकर व फर्द बंटवाड़ा पक्षकारान के रेकॉर्ड व कब्जे अनुसार तैयार होना बताया जाकर तहसीलदार कपासन कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। दिनांक 20.06.2013 को उक्त फर्द बंटवाडे से सभी पक्षकारान को सहमत होना बताया जाकर तथा उक्त फर्द बंटवाड़ा प्राथमिक डिक्री के अनुसार होना बताया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हक हिस्सा बंटवाड़े से पृथक किया जाकर पृथक से राजस्व रेकॉर्ड में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में अंकित किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 एवं संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2014 पारित की गयी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 व संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। तामील की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हत मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 तथा शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन हेतु फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया। जिसकी पालना में तहसीलदार कपासन कमिश्नर ने स्वयं मौके पर उपस्थित नही होकर, अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार उक्त फर्द बंटवाड़ा सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नही किया जाने से अवैधानिक होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाड़े को प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होना मानते हुए व उक्त फर्द बंटवाड़े से सभी पक्षकारान को सहमत होना बताकर उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु हो चुकी है फिर भी उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाकर मृतक प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात मे से केवल वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा पृथक किया जाकर एकपक्षीय बंटवाड़ा किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 व संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे सभी पक्षकारान ने मौके पर उपस्थित होकर फर्द बंटवाड़े पर हस्ताक्षर किये है। जिससे सभी पक्षकारान का फर्द बंटवाडे से सहमत होना स्पष्ट होता है। तथा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की सहमती से तैयार उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर पक्षकारान के कब्जे व रेकॉर्ड के अनुसार विभाजन किया जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिससे पत्रावली मे जवाबदावा बन्द किया गया। अन्त मे उभय अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 एवं संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2014 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.06.2012 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन हेतु फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश प्रदान किया, जिसकी पालना मे तहसीलदार कपासन द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया गया। इस प्रकार उक्त फर्द बंटवाड़ा सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नही किया जाने से अवैधानिक है, फिर भी तहसीलदार कपासन कमिश्नर द्वारा उक्त फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2013 हो पत्रावली मे रेकॉर्ड पर लिया जाकर उक्त अवैधानिक फर्द बंटवाडे पर प्रतिवादीगण अपीलांट्गण की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त फर्द बंटवाडे से सभी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...रान को सहमत होना बताकर दिनांक 20.06.2013 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री एवं दिनांक 24.01.2014 को संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 118/2011 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 व संशोधित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, बंटवाड़ा नियम 18 से 20 की पालना करते हुए, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ(राज0)